RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 06 / 2023 **GCMS NO:- 2023/216**

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. श्री धीरज कुमार पुत्र श्री जालाराम जाति जाट, निवासी सांभरा, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं अनुपरिथत।

आदेश

दिनांक : 16.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि नितेश आर्य आरपीसीएस अति पुलिस अधीक्षक जिला बाड़मेर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि दिनाक 08.11.2021 को वक्त 3.20 पीएम पर थाना कल्याणपुर हल्का क्षेत्र से गस्त करता हुआ बालोतरा की तरफ आते समय नेशनल हाईने 25 जोधपुर बाड़मेर रोड पर सहरद भाण्डियावास में हरिओम देवासी भोजनालय पर दो बड़े टैंकर व एक पिक–अप टैंकर खड़ी मिली। पिक–अप गाड़ी के पीछे डीजलनुमा छोटी टंकी लगी हुई, जिसमें डिजल निकालने एवम बैचने संबंधी नोजल लगा हुआ था तथा डिजल रीडींग की मशीन भी लगी हुई थी। उक्त गाड़ी संदिग्ध लगने से बायो डिजल की संभावना को देखते हुए होटल से कुछ आगे भांण्डियावास संस्कार स्कूल के पास आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा ने थाना पचपदरा से जाब्ता की तलबी जरिये दूरभाष की गई, जिस पर थाना पचपदरा से श्री सुखराम उनि मय श्री गिरधारीराम सउनि, श्री तगाराम हैड कानि 22, कानाराम हैड कानि 43, नेमीचन्द कानि न. 1783, केसाराम न. 1720, परशुराम कानि. 694 मय सरकारी वाहन चालक श्री प्रेमाराम कानि ड्राईवर न. 1027 के मन अतिरिक्त पुलिस

जिला कलक्टर
बालोतरा

अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय फरसाराम कानि 484, कानि कालूराम व चालक मोहनराम 1023 एवम थाना से आये उपरोक्त जाब्ता रवाना होकर सरहद भाण्डियावास में स्थित हरिओम भोजनालय पर पहुंचे। होटल के आगे खड़े टेकर नम्बर रजि न जीजे 12 बीटी 5155, जीजे 03 वाई 8279 एवम पिकअप रजि न आर जे 04 जीवी 1172 मिले। वाहन की ड्राईवरिंग सीट पर बैठे शख्स से नाम पता पूछा तो अपना नाम हिम्मतसिंह पुत्र गतादानसिंह जाति रावणा राजपूत, पेशा ड्राईविंग, निवासी गौड का तला, बाड़मेर होना बताया तथा वाहन पिक–अप के पास नोजल पकड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम करणीदान पुत्र उगमदान जाति चारण उम्र 28 वर्ष निवासी चौचरा पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर होना बताया एवम् एक मोटर के पाईप को टैंकर में लगा रहे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अखेदान पुत्र प्रतापदान जाति चारण उस 45 वर्ष निवासी करणीचर भीयाड़, पुलिस थाना शिव होना बताया। उक्त अखेदान से उक्त टैंकर से चालक के बारे में पूछा तो अखेदान ने उक्त गाडी का चालक लाखाराम पुत्र पेमाराम निवासी गल्लीसर, धोरीमन्ना होना बताया। अखेदान को अतिरिक पुलिस अधीक्षक बालोतरा ने मय हमराही जाब्ता द्वारा उक्त दोनों टैंकरों व पिकअप गाड़ी के पिछे लगी टंकी में भरे हुए पदार्थ के बारे में पुछा तो वहां उपस्थित श्री अखेदान, करणीदान व हिमतसिंह ने उक्त तीनों वाहनों की टकियों में बायो डीजल होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता द्वारा उक्त तीनों वाहनों की टंकियों में भरे पदार्थ को देखा व सुंघने पर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) होना पाया गया। उक्त तीनों शख्तों को उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडिजल) को लाने व ले जाने व कब्जा में रखने व बेचने के सम्बन्ध में वैध कागजात व लाइसेंस एवम वाहनों के कागजात के बारे में पूछा, तो सर्वश्री अखेदान करणीदान व हिमतसिंह द्वारा अपने पास उपरोक्त मिलावटी पैलियम पदार्थ (कथित बायोडिजल) के सम्बंध में कोई कागजात व लाइसेंस एवम वाहनों के कोई कागजात अपने पास नहीं होना बताया तथा न ही कोई जी एस टी बिल वगैरह होना बताया। उक्त तीनों वाहनों की टंकीयों को चैक किया गया, तो उक्त तीनों वाहनों की टंकियों में मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) भरा होना पाया एवं तीनो शख्स ने भी मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) होना बताया। उक्त तीनों वाहनो को चैक किया तो कुल 42000 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) भरा होना पाया गया। टैंकर जीजे 12 बीटी 5155

जिला कलक्टर
बालोतरा

की टंकी में से वास्ते रासायनिक परीक्षणार्थ कांच की एक बोतल 750 एमएल की भरी जाकर शील्ड मोहर कर मार्क एस अंकित किया गया एवं कांच की एक बोतल 750 एमएल की भरी जाकर वास्ते कन्ट्रोल सैम्पल शील्ड मोहर कर मार्क ए अंकित किया गया एवं शेष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) को उसी टैंकर की टंकी में रहने दिया जाकर टैंकर की टंकी के ढक्कन को शील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित किया गया तथा अखेदान के पास से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) ब्रिकी राशि 1,13,050/– रूपये को वास्ते वजह सबूत एक कागज के लिफाफे में रखकर शील्ड मोहर मार्क सी अंकित किया गया। टैंकर जी.जे. 03 बाई 8279 की टंकी में से वास्ते रासायनिक परीक्षणार्थ कांच की एक बोतल 750 एमएल की भरी जाकर शील्ड मोहर कर मार्क एस–01 अंकित किया गया एवं कांच की एक बोतल 750 एमएल की भरी जाकर वास्ते कन्ट्रोल सैम्पल शील्ड मोहर कर मार्क ए–01 अंकित किया गया एवं शेष मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) को उसी टैंकर की टंकी मे रहने दिया जाकर टैंकर की टंकी के ढक्कन को शील्ड मोहर कर मार्क बी–01 अंकित किया गया। वाहन पिक अप आरजे 04 जीबी 1172 की टकी में से वास्ते रासायनिक परीक्षणार्थ कांच की एक बोतल 750 एमएल की भरी जाकर शील्ड मोहर कर मार्क एस–02 अंकित किया गया एवं कांच की एक बोतल 750 एमएल की भरी जाकर वास्ते कन्ट्रोल सैम्पल शील्ड मोहर कर मार्क ए–02 अंकित किया गया एंव शेष मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बागी बीजल) को उसी पिक अप गाडी के पीछे लगी टकी में रहने दिया जाकर टंकी के ढक्कन व टंकी के पीछे लगे नोजल को शील्ड मोहर कर मार्क बी 02 अंकित किया गया। गाडी के पीछे लगे मीटर एवम् मोटर मय पाईप को जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया जाकर मुलजिमान अखेदान पुत्र प्रतापदान जाति चारण, करणीदान पुत्र उममदान जाति चारण व हिमतंसिह पुत्र मतादानसिह जाति राणा राजपूत को जरिये फर्द गिरफ्तारियों जुर्म धारा 3/7 ई सी. एक्ट से आगाह कर रूबरू मौतबिरान गिरफतार किये गये। प्रकरण में अन्वेषण से आरोपी करणीदान पुत्र उगमदान जाति चारण, अखेदान पुत्र प्रतापसिंह जाति चारण व हिम्मतसिंह पुत्र महादानसिंह जाति रावणा राजपुत के दवारा बिना लाईसेंस/परमिट के अनाधिकृत रूप से पैट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल का संग्रह किया गया है जो अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त बायोडीजल संग्रह में प्रयुक्त वाहन पिकअप नम्बर आर जे 04 जीबी 1172 का मालिकाना हक धीरजकुमार पुत्र श्री

न्यायालय जिला कलक्टर जिला बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

जालाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी सांभरा पुलिस थाना पचपदरा जिला बालोतरा का होना पाया गया है। प्रकरण में अन्वेषण से आरोपी द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के अनाधिकृत रुप से पैट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल का संग्रह किया गया है तथा वाहन मालिक धीरजकुमार पुत्र श्री जालाराम द्वारा बिना लाईसेस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पदार्थ अपने कब्जा में रखना, परिहवन करना तथा विक्रय करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मे जब्तशुदा 42000 लीटर बायोडीजल मय पिकअप नम्बर आर जे 04 जीबी 1172 नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 42000 लीटर बायोडीजल राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी धीरजकुमार पुत्र श्री जालाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी सांभरा पुलिस थाना पचपदरा जिला बालोतरा को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ संग्रह करते हुए पाया गया तथा मौके से गाड़ी में तथा टंकी ड्रम व कैन में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर अप्रार्थी (मौके पर तीनो शख्स) ने बायोडीजल होना बताया। सूंघने तथा जांच करने पर कुल 42000 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। साथ ही उक्त वाहन के पीछे लगे मीटर एवम् मोटर मय पाईप पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल लाने, बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया गया। साथ ही उक्त जब्तसुदा बायोडीजल नुमा पदार्थ में से एक 750 एमएल कांच की बोतल में नमुना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए तथा प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में "On the basis of Distillation Characteristics, the above liquid sample was found to be of petroleum hydrocarbon fractions having density

न्यायालय जिला कलक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

at 15°C and flash point 69°C(Abel)" होना बताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 42000 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये 42000 लीटर कथित बायोडीजल राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 42000 लीटर बायोडीजल का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें तथा जिला रसद अधिकारी, बालोतरा इसके लिए सहयोग प्रदान करे। साथ ही आरोपी अखेदान के पास से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) ब्रिकी राशि 1,13,050/– रूपये को वास्ते वजह सबूत एक कागज के लिफाफे में रखकर शील्ड मोहर मार्क सी अंकित किया गया, की राशि भी राजकाज में जमा करवाना सुनिश्चित करे। प्रकरण में वाहन पिकअप नम्बर आरजे 04 जीवी 1172 के स्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत सुपर्दगीनामा निरस्त किया जाता हैं तथा वाहन को जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा एवं जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा